


भू. अ. निरीक्षक वृत्. निमाज द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 24.02.2021 पेश की गई, जो शामिल मिसल की गई। प्रकरण में सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण की बहस सुनते हुंये, उस पर मनन किया गया।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी जैतारण एवं भू. अ. निरीक्षक वृत्. जैतारण की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 24.02.2021 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का मूल खसरा संख्या 935 है तथा खसरा संख्या 935/1 से लगता हुआ खसरा संख्या 935/2 जो कि गैर मुमकिन औद्योगिक क्षेत्र है, के रूप में दर्ज है जिस पर डामर प्लांट स्थापित एवं संचालित है। तहसीलदार जैतारण द्वारा दावे के साथ प्रस्तुत तत्समय पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.03.2016 में खसरा संख्या 935/1 में कंक्रीट स्टोक पड़ा होना अंकित है हांलाकि कंक्रीट कोई स्थायी संरचना के अन्तर्गत नहीं आता है साथ ही भू अभिलेख निरीक्षक निमाज की मौका फर्द दिनांक 24.02.2021 के अनुसार डामर प्लांट खसरा संख्या 935/2 रकबा 02-00 बीघा गैर मुमकिन औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित एवं संचालित होना अंकित है। इससे स्पष्ट है कि खातेदार द्वारा खसरा संख्या 935/2 गैर मुमकिन औद्योगिक क्षेत्र का ही अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का हानिप्रद कार्य कारित किया जाना साक्ष्य से साबित नहीं होता है। अतः हस्तगत प्रकरण भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।


—: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा, 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कमिश्नर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण,
जैतारण (जिला-पाली)
सुनाया गया।



निर्णय आज दिनांक 23/05/2022 को सर-ए-इजलास


सहायक कमिश्नर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण,
जैतारण (जिला-पाली) पाली